भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.**64**
दिनांक **03** फरवरी, **2020**

खुदरा तेल पंपों की स्थापना के लए संरक्षा मानदण्ड

64. श्री संतोष पान्डेयः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या खुदरा पेट्रोल-डीज़ल पंपों के लए सड़कों, आवासीय मकानों से दूरी आदि कोई संरक्षा मानदण्ड हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त मानदण्डों के अनुरूप स्था पत नहीं कए गए खुदरा पेट्रोल-डीज़ल पंपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पेट्रोल-डीज़ल पंपों के संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सू चत कया है क खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) को स्था पत करने के लए व भन्न पैमाने हैं जो आरओ स्थल की लोकेशन, बाजार का प्रकार आदि पर निर्भर करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आरओज स्था पत करने के पैमाने राज्य सरकार के स्थानीय पीडब्ल्यूडी/म्युन्सिपल नियमावली द्वारा शा सत होते हैं और यह अलग-अलग राज्यों के लए अलग-अलग होते हैं। राज्यों के राजमार्गों पर स्थित स्थल स्थानीय राज्य पीडब्ल्यूडी मानकों द्वारा शा सत होते हैं। जहां तक राजमार्गों के बाजार के आरओज का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे स्थल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानकों द्वारा शा सत होते हैं। आरओ परिसर में सु वधाओं का निन्यास, सुरक्षात्मक प्र क्रएं, सुरक्षा मानक पेट्रो लयम एवं वस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) नियमावली 2002 द्वारा शा सत होते हैं जिनका आरओ के निर्माण और उसके बाद के सुर क्षत प्रचालन के लए कड़ाई से पालन कया जाता है।

(ख) और (ग): सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज के खुदरा पेट्रोल-डीजल पंपों के ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र और पीईएसओ लाइसेंस प्राप्त कए बगैर स्था पत कया गया था।

****